झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना

एस०ओ० .... दिनांक .... न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का 11) की धारा–3के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते है कि एतद् सबंधी अनुसूची के स्तम्भ–2में उल्लिखित नियोजनों में (इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ–3में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा–2के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ–4में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष2001=100)
1		2	3
1	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्ड/स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन	जनवरी, २०१८	२८८
		फरवरी, २०१८	२८७
		मार्च, २०१८	२८७
		अप्रैल,२०१८	२८८
		मई,२०१८	२८९
		जून, २०१८	२९१
		कुल	१७३०
		छ : माह का औसत	१७३० / ६ = २८८
		पुनरीक्षित / निर्धारित बिन्दु	२५३
		अर्थात् प्रतिशत् वृद्धि	२८८-२५३=३५ =१३.८३% की वृद्धि

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त अनुसूची सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ–4में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी से जून,२०१८ (वर्ष २०१८ का प्रथमअर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक ०१.१०.२०१८ की तिथि से देय होगा।

(संख्या–2/एम०डबलू०–2071/2010,श्र०नि०– 1831 राँची, दिनांक 19.09.18)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18/9/2018

(बुद्धदेव भगत)

सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

एस०ओ० .... दिनांक .... का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348के खण्ड–3के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या–2/एम०डबलू०–2071/2010,श्र०नि०– 1832 राँची, दिनांक 19.09.18

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(बुद्धदेव भगत)

सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O............./ dated ..../ In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here to appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule-1 for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
1.	**Employments of workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the state ofJharkhand**	January, 2018 February, 2018 March,2018 April, 2018 May,2018 June, 2018 Total- Average	288.00 287.00 287.00 288.00 289.00 291.00 1730.00 1730.00 / 6 = 288 288-253=35 Points =13.83% increase

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will be not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January-June, 2018, which is 1st half of 2018, will be payable from 01.10.2018.

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 1832 Ranchi, Dated 19.09.18]

By Order of the Governor of Jharkhand

(Budhdeo Bhagat)
Under Secretary to Government

ज्ञापांक–2/एम०डबलू०–2071/2010,श्र०नि०– 1832 राँची, दिनांक 19.09.18
प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(बुद्धदेव भगत)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/एम०डबलू०–2071/2010,श्र०नि०– 1832 राँची, दिनांक 19.09.18
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(बुद्धदेव भगत)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/एम०डबलू०–2071/2010,श्र०नि०– 1832 राँची, दिनांक 19.09.18
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला/चण्डीगढ़/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, रांची/निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

(बुद्धदेव भगत)
सरकार के अवर सचिव।

अनुसूची–1

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई–दिसम्बर, २०१४तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई है।	जनवरी–जून २०१८ तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महंगाई भत्ता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (५–४)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महंगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों/ स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन	अधिसूचना सं०–१४८१, १४८२दिनांक १४.०८.२०१५	२५३	२८८	३५	क) रू०२२५.००पर रू० ३१.११ प्रतिदिन ख) रू०२४०.००पर रू० ३३.१९ प्रतिदिन ग) रू०३१०.००पर रू० ४२.८७ प्रतिदिन घ) रू० ३६०.०० या अधिक रू० ४९.७८ प्रतिदिन मासिक क) रू० ५८५०.००पर रू० ८०९.०५ प्रतिमाह ख) रू० ६२४०.००पर रू० ८६२.९९ प्रतिमाह ग) रू० ८०६०.००पर रू० १११४.६९ प्रतिमाह घ) रू० ९३६०.००या अधिक रू० १२९४.४८ प्रतिमाह	दिनांक ०१.१०.२०१८से

(संख्या–1/एम०डब्लू०–28/2010, श्र०नि०–1832 राँची, दिनांक 19.09.18)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(बुद्धदेव भगत)

सरकार के अवर सचिव।

Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2014 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of January-June, 2018 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (6-5)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Employments of workers engaged in Government Offices / Undertakings / Boards & Local Bodies in the state of Jharkhand	Notification No-1481, 1482 Date 14-08-2015	253	288	35	(a) On Rs. 225.00 Rs. **31.11** per day (b) On Rs. 240.00 Rs.33.**19** per day (c) On Rs. 310.00 Rs. **42.87** per day (d) Rs. 360.00 and above Rs. **49.78** per day Monthly (a) On Rs. 5850.00 Rs. **809.05** per month (b) On Rs. 6240.00 Rs. **862.99** per month (c) On Rs. 8060.00 Rs. **1114.69** per month (d) Rs. 9360.00 and above Rs.**1294.48** per month	From 01.10.2018

[No-2/MW-2071/2010; L & T-......1832........ Ranchi, Dated ......19.09.18......

By order of the Governor of Jharkhand,

(Budhdeo Bhagat)

Under Secretary to Government